





## सूचना

- 1) AEPS, AADHAAR PAY और ATM ट्रांसक्शनो को रजिस्टर में मेंटेन करना अनिवार्य है।
- 2) ट्रांसक्शन करने से पहले डेट, ग्राहक का नाम , आधार नंबर और मोबाइल नंबर और अमाउंट रजिस्टर में लिखे। ट्रांसक्शन सफल होने पर शेष राशि , RRN और ग्राहक का हस्ताक्षर करा कर राशि ग्राहक को दें। असफल ट्रांसक्शन होने पर अमाउंट के बाद के कॉलम को न भरें।
- 3) स्प्लीट ट्रांसक्शन ना करें। जैसे - यदि कस्टमर को 10000 की निकासी करनी हो तब एक बार में ही 10000 की निकासी करें। ना की 5000 – 5000 की।
- 4) 100 के गुणज के पूर्ण राशी ही निकले। जैसे 100 ,200 ,500,1000 इत्यादि।